



2720383
2720384


राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,
"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: निदे०कैम्प/ 2011-41

दिनांक: 18-05-2011

समस्त सचिव / सभापति,
मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।

जैसाकि आप अवगत ही होंगे कि दिनांक 01.04.2011 से चमड़ा एवं खाल, जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद है, पर विनियमन कार्य प्रभावी होने के साथ-साथ उक्त तिथि से मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की देयता भी प्रभावी हो गयी है एवं विभिन्न मण्डी समितियों द्वारा उक्त विनियमित उत्पाद के सौदों पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस अधिरोपित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि चमड़ा एवं खाल के सौदों पर मण्डी समिति द्वारा धनराशि बकाया दिखायी जा रही है उनकी रिकवरी के लिए किसी भी तरह की उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय एवं रिकवरी की आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से रोक दी जाय। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0



☎ 2720383
2720384

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश,
"किसान मण्डी भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: नि००६६५/२०११-५१

दिनांक: 18-05-2011

समस्त सचिव / सभापति,
मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।


जैसाकि आप अवगत ही होंगे कि दिनांक 01.04.2011 से चमड़ा एवं खाल, जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद है, पर विनियमन कार्य प्रभावी होने के साथ-साथ उक्त तिथि से मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की देयता भी प्रभावी हो गयी है एवं विभिन्न मण्डी समितियों द्वारा उक्त विनियमित उत्पाद के सौदों पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस अधिरोपित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि चमड़ा एवं खाल के सौदों पर मण्डी समिति द्वारा धनराशि बकाया दिखायी जा रही है उनकी रिकवरी के लिए किसी भी तरह की उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय एवं रिकवरी की आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से रोक दी जाय। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ०प्र०

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।


18.05.11
(राजेश कुमार सिंह)

निदेशक,
मण्डी परिषद, उ०प्र०